



# पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष: 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स- 0771-2262818, 2262607

क्रमांक : 337/अका./का.प/2019

रायपुर, दिनांक 21/05/2019

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की छियालिसवीं बैठक सोमवार, दिनांक 20.05.2019 को अपराह्न 3:00 बजे कुलपति सचिवालय के बैठक-कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए:

## प्रो. केशरी लाल वर्मा, कुलपति – अध्यक्ष

- |                                 |         |                          |         |
|---------------------------------|---------|--------------------------|---------|
| 1. डॉ. बशीर हसन                 | – सदस्य | 7. डॉ. चन्द्रशेखर चौबे   | – सदस्य |
| 2. डॉ. (श्रीमती) स्वर्णलता सराफ | – सदस्य | 8. डॉ. नरेन्द्र पटनायक   | – सदस्य |
| 3. डॉ. संजय कुमार               | – सदस्य | 9. श्री एस.के. चक्रवर्ती | – सदस्य |
| 4. डॉ. एच.के. पाठक              | – सदस्य | 10. श्री बी.एल. तिवारी   | – सदस्य |
| 5. डॉ. श्रीकांत कमलाकांत पांडेय | – सदस्य | 11. श्री ललित सुरजन      | – सदस्य |
| 6. डॉ. सोम कुमार चटर्जी         | – सदस्य |                          |         |

## डॉ. गिरीशकांत पाण्डेय, कुलसचिव – सचिव

### कार्यवृत्त :

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 26.03.2019 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : सम्पुष्टि की गई।

2. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 26.03.2019 के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : सूचना ग्रहण की गई।

### कम्प्यूटर विज्ञान अध्ययन शाला से संबंधित प्रस्ताव –

3. कम्प्यूटर विज्ञान अध्ययन शाला स्थित सर्वर रूम में स्थापित सर्वरों की वार्षिक रख-रखाव (AMC) एक वर्ष की वृद्धि एवं 100 नग Antivirus क्रय करने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

निर्णय : अनुमोदन किया गया।

### वित्त विभाग से संबंधित प्रस्ताव –

4. वार्षिक परीक्षा 2019 हेतु द्वितीय किस्त परीक्षा केन्द्र अग्रिम राशि रूपये-25,10,000/- (पच्चीस लाख, दस हजार रूपये मात्र) भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में।

निर्णय : अनुमोदन किया गया।

21.5.19

अकादमिक विभाग से संबंधित प्रस्ताव –

5. महाप्रभु वल्लभाचार्य शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महासमुंद में हिन्दी विषय में शोध केन्द्र की मान्यता के संबंध में विचार करना।

निर्णय : महाप्रभु वल्लभाचार्य शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महासमुंद में हिन्दी विषय में अस्थायी शोध केन्द्र की मान्यता प्रदान की गई।

6. डॉ. राधाबाई शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय, रायपुर को हिन्दी विषय में शोध केन्द्र की मान्यता प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : डॉ. राधाबाई शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय, रायपुर को हिन्दी विषय में अस्थायी शोध केन्द्र की मान्यता प्रदान की गई।

सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित प्रस्ताव –

7. डॉ. ओमप्रकाश वर्मा, सेवानिवृत्त प्रोफेसर को स्वामी विवेकानंद चेयर प्रोफेसर के पद पर दिनांक 01.04.2019 से 27.05.2019 तक सेवावृद्धि के संबंध में विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : अनुमोदन किया गया।

महिला छात्रावास से संबंधित प्रस्ताव –

8. पी.जी. छात्रावास की इम्प्रेस्ट की राशि रूपये-10,000/- से बढ़ाकर राशि रूपये-20,000/- किये जाने के संबंध में विचारार्थ।

निर्णय : अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष के अनुमति से अन्य प्रकरण

01. विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 17.05.2019 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णय : अनुमोदन किया गया।

02. वार्षिक परीक्षा 2019 एवं सेमेस्टर परीक्षा दिसम्बर, 2018 के रिजल्ट प्रोसेसिंग कार्य भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित, राँची (NCCF) के देयक राशि रु. 2,14,84,012.00 (दो करोड़ चौदह लाख चौरासी हजार बारह रुपये मात्र) भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय : भुगतान की स्वीकृति दी गई।

03. डॉ. बी.के. मेहता, सेवानिवृत्त संचालक/प्रोफेसर के निलंबन अवधि के वेतन भुगतान के संबंध में विचार करना।

निर्णय : विधिक अभिमत प्राप्त कर भुगतान की कार्यवाही की जावे।

04. विश्वविद्यालय परिसर स्थित शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारी हेतु उपलब्ध आवास का किराया/जल शुल्क के पुनः निर्धारण के संबंध में विचार करना।

निर्णय : (1) बाजार दर का निर्धारण सक्षम प्राधिकारी से कराया जाए।

(2) अन्यत्र पदस्थापित/सेवानिवृत्ति के उपरांत देय राशि का भुगतान आवास रिक्त होने के उपरांत ही किया जाए।

05. उपाधि प्रोफार्मा मुद्रण के द्वितीय देयक राशि रु. 22,30,200 (बाईस लाख तीस हजार दो सौ रुपये मात्र) का भुगतान किये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : अनुमोदन किया गया।


06. परीक्षा शुल्क में वृद्धि के संबंध में विचार करना।


निर्णय : परीक्षा शुल्क में वृद्धि के संबंध में कुलपति जी समिति का गठन करेंगे और समिति से प्राप्त प्रतिवेदन पर कुलपति जी निर्णय लेंगे।

07. वेतन एवं पेंशन शाखा के इम्प्रेस्ट राशि रु. 3000/- से बढ़ाकर रु. 10,000/- किये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : अमान्य किया गया।

अध्यक्ष एवं सभी उपस्थित सम्माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक संपन्न हुई।


  
कुलपति  
अध्यक्ष

  
कुलसचिव  
सचिव

पृ. क्रमांक : 338 / अका./ का.प./ 2019  
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक : 21/05/2019

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
3. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला/समस्त विभागीय अधिकारी,
4. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्/जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
5. वित्त नियंत्रक/प्रभारी, अंकेक्षण,
6. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)